न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी(राजस्व), संगरिया

पीठासीन अधिकारी :– रमेश देव (आर.ए.एस.)

प्रकरण सं. 250/2021

वाद अ. धारा 88 आर.टी.ए.

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

गुरचरण सिंह पुत्र श्री राजा सिंह जाति जटसिख निवासी रासूवाला तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

– वादी

बनाम्

1. राजा सिंह पुत्र श्री सन्धुरा सिंह जाति जटसिख निवासी रासूवाला तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
2. हरदेव सिंह उर्फ गुरदित सिंह जाति जटसिख निवासी रासूवाला तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) हाल आबाद जातरी, तहसील तलवंडी साबो जिला बठिण्डा(पंजाब)
3. सुखजीत कौर पुत्री श्री राजा सिंह जाति जटसिख निवासी रासूवाला तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
4. भारतीय स्टेट बैंक शाखा कोर्ट रोड़ संगरिया जरिये शाखा प्रबन्धक।
5. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

– प्रतिवादीगण

उपस्थिति :–

वादीगण की ओर से :– श्री महावीर बेरड़, एडवोकेट

प्रतिवादी की ओर से :– श्री कुलदीप मुण्ड, एडवोकेट

निर्णय दिनांक :–

वादी गुरचरण सिंह ने प्रतिवादीगण राजा सिंह वगैरा के विरूद्ध यह राजस्व वाद बाबत् घोषणा का इस न्यायालय में पेश किया कि यह कि प्रतिवादी सं. 1 वादी का पिता एवं प्रतिवादी सं. 2 वादी का चाचा, प्रतिवादी सं. 3 वादी की सगी बहिन है जो एक ही परिवार के सदस्य है। वादी एवं प्रतिवादी सं. 3 के पिता एवं चाचा प्रतिवादी सं. 1 व 2 के नाम से तहसील संगरिया के चक 9 पी.टी.पी. के खाता सं. 78/68 जमाबन्दी सम्वत् 2071–74 में 1. 550 है. कृषि भूमि ब.हि.ब. दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त चक के खाता की जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति सलंग्न वाद पत्र है इसके अलावा वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 3 के संयुक्त परिवार की संयुक्त कृषि भूमि ग्राम जातरी, तहसील तलवंडी साबो जिला बठिण्डा(पंजाब) में स्थित है। यह कि वाद पत्र की चरण सं.

लगातार --2

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

3 में वर्णित कृषि भूमि में जो कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 3 की संयुक्त परिवार की संयुक्त आराजी है तथा वादी एवं प्रतिवादी सं. 3 के पिता एवं चाचा प्रतिवादी सं. 1 व 2 के नाम से वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि में वादी का जन्म से हित एवं स्वत्व (By birth Right) निहित है परन्तु उक्त समस्त कृषि भूमि बंटवारानुसार वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही होने के कारण तथा प्रतिवादी सं. 1 व 2 के अन्य लोगों के प्रभाव में होने व उक्त भूमि की आय का अपने निजी व्यसनों पर खर्च करने के कारण वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 3 के मध्य विवाद हो गया व आपस में कटुता पैदा हो गई इस पर रिश्तेदारों आदि ने जरिये पंचायत वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 3 के मध्य राजीनामा व बंटवारा करवा दिया जिसमें प्रतिवादीया सं. 3 ने उक्त कृषि भूमि में अपने हक व हिस्सा का परित्याग मौखिक रूप से वादी व प्रतिवादी सं. 1 व 2 के पक्ष में बंटवारानुसार कर दिया तथा प्रतिवादी सं. 2 ने अपने हक व हिस्सा की कृषि भूमि ग्राम जातरी, तहसील तलवंडी साबो जिला बठिण्डा(पंजाब) में प्राप्त कर ली है। प्रतिवादी सं. 2 व 3 का तहसील संगरिया के चक 9 पी.टी.पी. के खाता सं. 78/68 की कृषि भूमि में कोई हित व स्वत्व निहित नही रहा हैं। वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 को बंटवारा में प्राप्त कृषि भूमि का वर्णन निम्न प्रकार से है :–

(क) वादी गुरचरण सिंह पुत्र श्री राजा सिंह जाति जटसिख निवासी रासूवाला तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक व हिस्सा की कृषि भूमि :–

तहसील संगरिया के चक 9 पी.टी.पी. के खाता सं. 78/68 जमाबन्दी सम्वत् 2071–74 में 0.775 है. कृषि भूमि

(ख) प्रतिवादी सं. 1 राजा सिंह पुत्र श्री सन्धुरा सिंह जाति जटसिख निवासी रासूवाला तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक व हिस्सा की कृषि भूमिः–

तहसील संगरिया के चक 9 पी.टी.पी. के खाता सं. 78/68 जमाबन्दी सम्वत् 2071–74 में 0.775 है. कृषि भूमि

यह कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 3 को विरासतन तौर पर प्राप्त समस्त कृषि भूमि जिसका वर्णन वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित किया गया है। वाद पत्र की चरण सं. 4 के अनुसार वादी खातेदार काश्तकार होने की घोषणा करवाने का अधिकारी एवं दावेदार है। यह कि प्रतिवादी सं. 1 ता 3 को प्रश्नगत् कृषि भूमि विरासतन तौर पर प्राप्त हुई है। वादी ने प्रतिवादी सं. 1 ता 3 को बंटवारानुसार कृषि भूमि दर्ज करवाने हेतु कहा तो कुछ दिन तक तो प्रतिवादी सं. 1 ता 3 टाल मटोल करते रहे आखिर गत् सप्ताह ऐसा करने से कतई इन्कार हो गये। बस यही वाद कारण है।

लगातार ––3

उक्त तथ्यों के आधार पर वाद पत्र पेश होने पर सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 द्वारा राजीनामा पेश किया गया जो कि बाद तस्दीक शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादीया सं. 3 द्वारा सहमति का जवाब दावा प्रस्तुत किया गया जो कि बाद तस्दीक शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी सं. 4 की सम्मन प्राप्ति रसीद पेश हुई जो शामिल मिसल की गई तथा प्रतिवादी सं. 5 का जवाब स्टेट पेश हुआ। जो शामिल मिसल किया गया। वाद पत्र के समर्थन में वादी के द्वारा तहसील संगरिया के चक 9 पी.टी.पी. के खाता सं. 78/68 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 की जमाबन्दी की प्रति पेश की गई जो प्रदर्श-1 है। साक्ष्य वादी में वादी का शपथ पत्र अ. धारा 18 नियम 4 व्य.प्र.सं. पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। साक्ष्य प्रतिवादीगण बन्द की गई।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। बहस में वादी के अभिभाषक ने कथन किया कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 3 संयुक्त परिवार के सदस्य है तथा आपस में कोई विरोध नही है। वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 द्वारा राजीनामा पेश किया गया जो कि बाद तस्दीक शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादीया सं. 3 द्वारा सहमति का जवाब दावा प्रस्तुत किया गया जो कि बाद तस्दीक शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी सं. 4 की सम्मन प्राप्ति रसीद पेश हुई जो शामिल मिसल की गई तथा प्रतिवादी सं. 5 का जवाब स्टेट पेश हुआ। जो शामिल मिसल किया गया। वाद पत्र में घोषणा का अनुतोष चाहा गया है। बहस में वकील वादी एवं वकील प्रतिवादीगण ने राजीनामा अनुसार वाद पत्र डिक्री किये जाने पर सहमति दी। वकील वादी ने वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया। जिसका वकील प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नही किया।

वाद पत्र में वर्णित आराजी वादी एवं प्रतिवादी सं. 3 के पिता एवं चाचा प्रतिवादी सं. 1 व 2 के नाम से तहसील संगरिया के चक 9 पी.टी.पी. के खाता सं. 78/68 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 में 1.550 है. कृषि भूमि ब.हि.ब. दर्ज राजस्व रिकार्ड है। तहसील संगरिया के चक 9 पी.टी.पी. के खाता सं. 78/68 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 की जमाबन्दी की प्रति पेश की गई। वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 द्वारा राजीनामा प्रस्तुत होने के कारण एवं प्रतिवादीया सं. 3 द्वारा सहमति का जवाब दावा प्रस्तुत होने के कारण तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नही है। वाद पत्र में वर्णित कृषि भूमि संयुक्त परिवार की संयुक्त कृषि भूमि है। वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 3

लगातार --4

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

एक ही परिवार के सदस्य है। वाद पत्र का कोई विरोध हमारे समक्ष नही आया है। वाद पत्र मुताबिक राजीनामा एवं सहमति के जवाब दावा अनुसार डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है। राजीनामा निर्णय का जुज रहेगा।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

अतः वाद वादी मुताबिक अनुतोष अनुसार डिक्री किया जाता है कि मुताबिक बंटवारा प्रतिवादी सं. 2 के नाम से तहसील संगरिया के चक 9 पी.टी.पी. के खाता सं. 78/68 जमाबन्दी सम्वत् 2071–74 में 0.775 है. कृषि भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 2 का नाम कलमजन किया जावे।

नोटः– यदि डिक्रीत वादी/प्रतिवादीगण हक आराजी बैक रहन नही है तो अमल दरामद मुताबिक डिक्री किया जावे।

इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावें। पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील नम्बर से कम किया दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 22/03/2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(रमेश देव)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी(राजस्व),
संगरिया

डिक्री एवं मुकदमें इब्तदाई

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

पीठासीन अधिकारीः– रमेश देव(आर.ए.एस.)

प्रकरण सं. 250/2021

गुरचरण सिंह पुत्र श्री राजा सिंह जाति जटसिख निवासी रासूवाला तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

– वादी

बनाम्

6. राजा सिंह पुत्र श्री सन्धुरा सिंह जाति जटसिख निवासी रासूवाला तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
7. हरदेव सिंह उर्फ गुरदित सिंह जाति जटसिख निवासी रासूवाला तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) हाल आबाद जातरी, तहसील तलवंडी साबो जिला बठिण्डा(पंजाब)
8. सुखजीत कौर पुत्री श्री राजा सिंह जाति जटसिख निवासी रासूवाला तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
9. भारतीय स्टेट बैंक शाखा कोर्ट रोड़ संगरिया जरिये शाखा प्रबन्धक।
10. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

– प्रतिवादीगण

<u>वाद पत्र अ. धारा 88 आर.टी.ए.</u>

दिनांक :– ....

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ **रमेश देव(आर.ए.एस.)** के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी **श्री महावीर बेरड़** वकील वादीगण मिन जामिन मुदई **श्री कुलदीप मुण्ड** वकील प्रतिवादी सं. 1 ता 3 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता हैं व यह डिक्री दी जाती है कि मुताबिक बंटवारा प्रतिवादी सं. 2 के नाम से तहसील संगरिया के चक 9 पी.टी.पी. के खाता सं. 78/68 जमाबन्दी सम्वत् 2071–74 में 0.775 है. कृषि भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 2 का नाम कलमजन किया जाता है।

नोट :– यदि डिक्रीत वादी/प्रतिवादी हक आराजी बैंक रहन नही है तो अमल दरामद मुताबिक डिक्री किया जावे।

निज ....×...... निल .....×...... मुब्लिक ....×......निल ...×...... बाबत् .....×...... निल.....×...... खर्चा मुकदमें के मयशुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक ...×....को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मोहर अदालत से आज **दिनांक** 22/03/2023 को जारी किया जाता है।

(रमेश देव)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी(राजस्व),
संगरिया